राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.7 (51)परि/नियम/मु./2006/पार्ट III/15632 जयपुर, दिनांक :– 12/08/2015

कार्यालय आदेश 28/2015

मोटर यान अधिनियम, 1988 एवं तत्समत् नियम 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत चालक लाइसेंस हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गयी है। वर्ष 1989 से पूर्व चालक लाइसेंस आवेदन में जन्म दिनांक की प्रविष्टि न होकर केवल उम्र संबंधी विवरण लिया जाता था। जिसके फलस्वरूप वर्ष 1989 से पूर्व अबोधता, अनभिज्ञता एवं गैर –इरादतन त्रुटिवश निर्धारित आयु से कम आयु में चालक लाइसेंस प्राप्त करने के अनेक प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आये है।

उक्त प्रकरणों का विस्तृत परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त होता हैः–

1. वर्तमान में विभाग में चालन अनुज्ञप्ति से संबंधित समस्त कार्य 'सारथी' सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है एवं उक्त सॉफ्टवेयर में पुराने लाइसेंस के नवीकरण से पूर्व की जाने वाली बैकलॉग प्रक्रिया के समय लाइसेंसधारी की जन्म दिनांक एवं प्रथम बार जारी होने की दिनांक की अनिवार्य प्रविष्टि का प्रावधान है जिससे प्रथम बार जारी होने की दिनांक एवं जन्म दिनांक के बीच लाईसेंस हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु से कम अन्तर होने पर बैकलॉग प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। पूर्व में कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 25(22) परि/कम्प्यू/63308 दिनांक 22.12.2014 द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारियों को ऐसे चालक लाईसेंसों का नवीकरण नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे चालक तथा अनुज्ञापत्र प्राधिकारी दोनों की अनभिज्ञता एवं अबोधता में निर्धारित आयु से कम आयु में जारी चालक लाइसेंस के नवीकरण में समस्या उत्पन्न हो रही है।
2. उक्त लाइसेंस सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी है एवं चालक जिनको निर्धारित आयु से कम आयु में लाईसेंस जारी किये गये प्रथम नवीकरण के समय आयु संबंधी अर्हता पूर्ण करने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इनका नवीकरण किया गया एवं इसी क्रम में समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन चालक लाइसेंसों का एकाधिक बार नवीकरण किया जा चुका है।
3. ये चालक लाइसेंस वर्तमान में पूर्ण वैधता धारित किए हुए हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें रद्द/निलंबित (suspend/revoke/cancel) नहीं किया जाता।

साथ ही उक्त लाईसेंसधारी आज दिनांक को लाईसेंस संबंधी समस्त अर्हताओं एवं योग्यताओं को धारित किये हुए है। अतः किसी भी प्रकार के मुकदमे, न्यायालयिक प्रकरण में वैध लाइसेंस के समान ही पूर्ण कानूनी वैधता रखते हैं।

अतः पूर्व में इस प्रकार के चालक लाइसेंसों हेतु जारी पत्र क्रमांक एफ 25(22) परि/कम्प्यू/63308 दिनांक 22.12.2014 को प्रत्याहूत (Withdraw) किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार निर्धारित अन्य सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए नवीकरण आवेदन स्वीकार कर नवीकरण किया जावे।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

प्रतिलिपि :

क्रमांक :– प.7 (51)परि/नियम/मु./2006/Part III/15633-638 जयपुर, दिनांक : 12/08/2015

1. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव ।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण .... ।
3. अपर परिवहन आयुक्त (सूचना एवं तकनीकी) को सारथी सॉफ्टवेयर में अनुरूप परिवर्तन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही बाबत्।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी .... ।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)